भारत शासन अधिनियम 1935

डा० राजीव कुमार
सहायक प्राचार्य
इतिहास विभाग
लंगट सिह महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

भारत शासन अधिनियम 1935

- आवश्यकता:- भारतीय जनता लम्बे समय से संवैधानिक सुधारों की मांग कर रही थी।

- पृष्ठभूमि:- साइमन कमीशन रिपोर्ट
  3 गोलमेज सम्मेलन
  संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र
  संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट

प्रमुख विशेषता

- अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव
- केन्द्र मे द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना
- प्रांतीय स्वायत्तत्ता
- संघीय न्यायालय की स्थापना
- केन्द्रीय विधान मण्डल
- भारतीय कौंसिल की समाप्ति

अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव

- ब्रिटिश प्रांतों एवम देशी रियासतों का एक संघ बनाया जाना था.
- केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्था. उच्च सदन राज्य परिषद तथा निम्न सदन संघीय विधायिका.
- राज्य परिषद में 260 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए 156 जबकि देशी रियासतों के लिए 104 सीटें नियत थी.
- देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किए जाने थे. ब्रिटिश भारत के 6 प्रतिनिधि भी मनोनीत किए जाने थे.
- संघीय विधायिका के 375 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए 250 तथा देशी रियासतों के लिए 125 सीटें नियत थी.
- दोनों सदनों के लिए ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया था.

केन्द्र मे द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना

- संघीय विधायिका संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती थी जबकि अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित थी.
- आरक्षित विषय यथाः-प्रतिरक्षा, विदेश तथा धार्मिक मामले गवर्नर जनरल के अधीन थे.
- शेष सभी मुद्दे हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे. मंत्रिपरिषद की सहायता से गवर्नर जनरल इन विषयों पर प्रशासनिक व्यवस्था कर सकता था.

प्रान्तीय व्यवस्था

- प्रांतों को स्वतंत्र सांविधानिक एवम कानूनी रुप
- प्रांतीय सूची के साथ हीं समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को अधिकार मिला
- प्रांतो को वित्तीय शक्ति
- विशिष्ट परिस्थितियों को छोड.कर केंद्र और भारत मंत्री के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से मुक्ति
- बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया
- सिंध और उडीशा नये प्रांत गठन पश्चिमोत्तर प्रांत को पूर्ण प्रांत का दर्जा
- *बंगाल(250), बंबई(175), मद्रास(215), संयुक्त प्रांत(228), बिहार(152), असम(108),* मध्य प्रांत(112), पंजाब(175), सिन्ध(60), उडीशा(60) और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत(50)

प्रान्तीय स्वायत्तत्ता

- द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना. उच्च सदन- विधान परिषद तथा निम्न सदन विधान सभा
- विधान मंडल के स्थान साम्प्रदायिक आधार पर तय था.
- प्रांतों में शासन का संचालन मंत्रीमंडल के परामर्श से किया जाना था. मंत्रीमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी था.
- गवर्नर मंत्रीमंडल का फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं था
- गवर्नर को विवेधिकार शक्तियां प्राप्त थी. जैसे- विधान सभा का अधिवेशन बुलाना, विधेयक पर अंतिम निर्णय लेना

संघीय न्यायालय की स्थापना

- न्यायिक मामलों के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई. इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिकतम 6 न्यायाधीश हो सकते थे.
- न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया जाना था.
- न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैण्ड के प्रिवी कौंसिल में अपील किया जा सकता था.
- सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था.

अन्य प्रावधान

- वित्त एवम साख पर नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना
- 1858 के अधिनियम के द्वारा स्थापित इंडिया कौंसिल को समाप्त कर दिया गया.
- इसका स्थान भारत सचिव के सलाहकारों ने ले लिया. इसकी संख्या 3 से 6 तक हो सकती थी.
- इंडिया औफिस के व्यय का सारा भार इंग्लैण्ड के करदाताओं पर डाल दिया गया.
- संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान. इसके ऊपर रेलवे के नियंत्रण, निर्माण, रख-रखाव और संचालन का दायित्व .

गुण

- प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति
- प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त
- विधान सभा के सदस्यों में वृद्धि
- मतदाताओं की संख्या में वृद्धि

दोष

- भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा नहीं
- केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व
- देशी रियासतों को महत्व
- अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण
- जनतांत्रिक शासन पद्धति की उपेक्षा
- संघीय न्यायालय के सीमित अधिकार
- प्रांतीय शासन में दोष

धन्यवाद